an>

Title: Regarding rehabilitation of slum dwellers living in Mumbai Airport land.

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर सदन में आई हूँ। मैं जिस चुनाव क्षेत्र का मुद्दा लेकर आई हूँ, वह केवल चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा मुम्बई, महाराष्ट्र और देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश के बिज़ीयैस्ट एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे पर मुम्बई और तीसरे नंबर पर हैदराबाद आता है। यह दूसरे नंबर का मुम्बई एयरपोर्ट जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है, उस एयरपोर्ट के मुद्दे के बारे में मैं यहाँ विषय रखना चाहती हूँ। मैं खुद पायलट होने की वजह से जानती हूँ कि मुम्बई एयरपोर्ट में जिस प्रकार से बिज़ीयैस्ट एयरपोर्ट के रूप से वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल यातायात बढ़ता जा रहा है, उसके लिए जिस प्रकार की यंत्रणा चाहिए, जो डैवलपमैंट चाहिए, वह अब तक मुम्बई एयरपोर्ट पर नहीं हुआ है। उस हवाई अड्डे पर इतनी अपेक्षा की जाती है कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बाहर प्रदेशों में देखते हैं, दिल्ली और कोलकाता में भी देखते हैं तो पैरलल रनवे तीन या चार लगते हैं। आज मुम्बई एयरपोर्ट में दिक्कत यह आती है कि दो और तीन पैरलल रनवे नहीं हैं। वे एक दूसरे से कटे हुए हैं तो एक ही रनवे का इस्तेमाल होता है। इसीलिए एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया और जीवीकेएस ने मिलाकर एम.आई.एल. करके एक नया कंस्ट्रक्टिव जेवी तैयार किया था जो 3 मई, 2006 को *as is where is* बेसिस पर बनाया गया था। उसमें यह तय किया गया था कि वहाँ जो एनक्रोच्ड लैंड है जहाँ पर 90 हज़ार झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छे रूप से वहाँ ही घर मिलेंगे और फिर एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। यहाँ पर दो फायदे होते हैं कि एयरपोर्ट का विस्तार होगा तथा डिफैन्स के रूप से, सिक्योरिटी के रूप से, एयरपोर्ट के पास के नज़दीकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको दूर रखा जाए तो एयरपोर्ट मंत्रालय को भी इसका समर्थन होगा और जो झुग्गी झोपड़ियों में इतने सालों से रहने वाले लोग हैं, जिनके सिर पर अच्छा घर चाहिए, छत चाहिए, उनके लिए भी वहीं अच्छे रूप से घर बनें। इस एम.आई.ए.एल. के रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2006 में एच.डी.आई.एल कंपनी के साथ टाइ अप किया। उसको 2000 एकड़ के रूप में महाराष्ट्र गवर्नमैंट में भी मदद की और स्लम रीहैबिलिटेशन अथॉरिटी के रूप में उनको घर बनाने की इजाज़त दी। लेकिन जब घर बनाने की इजाज़त दी तो उसके बाद एच.डी.आई.एल. ने जिस प्रकार से काम करना चाहिए था, वह नहीं किया और फिर एम.आई.ए.एल. और एच.डी.आई.एल. का मामला न्याय प्रविष्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट से आर्बिट्रेशन में पहुँच गया। आज आर्बिट्रेशन में मामला तो पहुँच गया है लेकिन वहाँ इतने सालों से रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, एयरपोर्ट की सिक्यूरिटी बहुत महतवपूर्ण मुद्दा है, वह नहीं हो पा रहा है। एच.डी.आई.एल. ने जो ट्रांसफर ऑफ डैवलपमैंटल राइट्स होते हैं, जिसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से कमाया जाता है, उस एच.डी.आई.एल. कंपनी पर अभी बहुत सारी एफ.आई.आर. हुई हैं। उस एच.डी.आई.एल कंपनी ने टीडीआर तो ले लिया, बेच भी दिया और अपनी कंपनी को मुनाफा दिया।

महोदया, बस्तियों में रहने वाले 90 हजार गरीब लोगों में से 15 हजार लोगों को भी घर नहीं दिया। जिन प्रोजेक्ट्स से लोग प्रभावित होते हैं, उन लोगों के रहने के लिए घर दिए जाते हैं, जैसे अंधेरी में तीन-चार जगहों पर घर बनाने के लिए कहा था। ऐसे 15 हजार घर बने हैं, लेकिन अब तक लोगों को रहने के लिए घर नहीं दिया गया है।

महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नवी मुम्बई में एयरपोर्ट बने। जब मैंने नवी मुम्बई की अभ्यासिका निकाली तो मुझे पता चला कि नवीं मुम्बई के पहले चरण का इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते-होते वर्ष 2018 हो जाएगा। तब तक मुम्बई का जो बीजिएस्ट एयरपोर्ट है, उससे लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी तथा लोग चाहेंगे कि मुम्बई एयरपोर्ट का विस्तार हो। मैं सदन से अपेक्षा करती हूं कि महाराष्ट्र सरकार, एम.आई.ए.एल., एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस बीजिएस्ट एयरपोर्ट को ज्यादा महत्व दे। मुम्बई हमारी आर्थिक राजधानी है और इंटरनेशनल सिटी भी है। मुम्बई एयरपोर्ट ने 25 प्रतिशत जी.डी.पी. इस देश को दी है। मैं अपेक्षा करती हूं कि मुम्बई के लिए और मुम्बई के अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह से ध्यान दिया जाए और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को घर मिले।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्षा जी, मैं अपने आपको सुश्री पूनम महाजन द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।